**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4942**
**31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य प्रणाली**

**4942. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2030 तक "एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य प्रणाली नीति" लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) कया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान के वैज्ञानिक निष्कर्षों को सरकार की "एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य प्रणाली नीति" के साथ लागू किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) और (ख): वर्ष 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी और इक्विटी की लागत को कम करके इसकी पहुंच को बढ़ाकर, वहनीयता में वृद्धि करके अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या अभिविन्यास के माध्यम से सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति और परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने लोगों को सुलभ और वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए वाले समूहों के लिए, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने, मानव संसाधनों और उनके क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत, देश में विशिष्ट स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना में सुधार करने और गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अवसंरचना को उन्नत बनाने, जिलों में गंभीर परिचर्या ब्लॉक यूनिट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कार्रवाई की जाती है, ताकि किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का प्रबंधन करने के लिए देश बेहतर तरीके से सुसज्जित हो सके।

*****